

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-गुप-2) विभाग

सं. एफ. 1(2)डीओपी/ए-II/86

जयपुर, दिनांक: 5.5.2022

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का नाम राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची-I का संशोधन.— राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 से संलग्न अनुसूची-I में शीर्ष "फार्मसी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम" और शीर्ष कनिष्ठ पद के अधीन विद्यमान क्रम संख्यांक 18 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और उसकी प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

"

18(क) सहायक निदेशक, फार्मसी	100% पदोन्नति द्वारा	अधीक्षक, फार्मसी	बी.फार्मा. और संख्यांक 3 उल्लिखित पद पर वर्ष का अनुभव।	स्तंभ 5 में पर 5	-
-----------------------------	----------------------	------------------	--	------------------	---

"

राज्यपाल के आदेश और नाम से,



(रामनिवास मेहता)

संयुक्त शासन सचिव

24/2022